

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

- District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB PANCHKULA Year (वर्ष): 2020

FIR No. (प्र.सू. सं.): 0002 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 23/06/2020 17:34 hrs
- | S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 1 | IPC 1860 | 120-B |
| 2 | IPC 1860 | 197 |
| 3 | IPC 1860 | 198 |
| 4 | IPC 1860 | 420 |
| 5 | IPC 1860 | 511 |
- (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 23/06/2020 Time (समय): 16:27 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date and Time (दिनांक और समय): 23/06/2020 16:27 hrs
- Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
- Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 3 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): PANCHKULA,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):
- Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): INSP SURESH KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 15/03/1970 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB PKL, SECTOR-14, PANCHKULA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB PKL, SECTOR-14, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416322779

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	Vinayaka Mission University			1. Salem Tamil Nadu,AWPS - SALEM RURAL,SALEM,TAMIL NADU,INDIA
2	I.A.S.E. Deemed University			1. Sardar Shafer,Rajasthan,SOORWAAL,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA
3	धमेन्द्र सिंह तत्कालीन मत्स्य अधिकारी			1. पलवल,CITY PALWAL,PALWAL,HARYANA,INDIA
4	जगदीश चन्द्र तत्कालीन जिला मत्स्य अनुसंधान अधिकारी			1. जल/कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण,संस्थान हिसार,HISAR CITY,HISAR,HARYANA,INDIA
5	संजय यादव उप निदेशक मत्स्य अधिकारी			1. गुरुग्राम,GURGAON CITY,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
6	राजेश बैनीवाल तत्कालीन मत्स्य अधिकारी			1. फतेहाबाद,CITY FATEHABAD,FATEHABAD,HARYANA,INDIA
7	अमित सिंह तत्कालीन ब्लाक मत्स्य अधिकारी सापला			1. कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी,रोहतक,ROHTAK CITY,ROHTAK,HARYANA,INDIA
8	बृज मोहन शर्मा तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी			1. सिरसा,SIRSA CITY,SIRSA,HARYANA,INDIA
9	कुलदीप सिंह तत्कालीन व्यवसायिक मत्स्य लिपिक			1. कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी,भिवानी,BHIWANI CITY,BHIWANI,HARYANA,INDIA
10	विजय कुमार शर्मा तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य			1. मुख्यालय,PANCHKULA SECTOR-5,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
11	राजेन्द्र कुमार तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य सेवानिवृत्त			1. हिसार,HISAR CITY,HISAR,HARYANA,INDIA
12	महेन्द्र सिंह अहलावत तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य			1. मुख्यालय,पंचकूला,PANCHKULA SECTOR-5,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
13	रवि बठला तत्कालीन जिला राजस्व मत्स्य अधिकारी			1. अम्बाला,AMBALA,HARYANA,INDIA
14	बलबीर सिंह तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी			1. भिवानी,BHIWANI CITY,BHIWANI,HARYANA,INDIA
15	सुरेन्द्र ठुकराल तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी			1. कार्यालय मत्स्य फार्म प्रबंधक,हिसार,HISAR CITY,HISAR,HARYANA,INDIA
16	सिकंदर सिंह सांगवान तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी व अन्य			1. नारनौल,CITY NARNAUL,MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0), सैक्टर-17, पंचकुला। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जाँच क्रमांक 16 दिनांक 08.10.2015 विरुद्ध Vinayaka Mission deemed University, Salem, Tamil Nadu, I.A.S.E., Deemed University, Sardar Shehar, Rajasthan, श्री धमेन्द्र सिंह तत्कालीन, मत्स्य अधिकारी, पलवल, श्री जगदीश चन्द्र तत्कालीन, जिला मत्स्य अनुसंधान अधिकारी, जल/कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिसार, श्री संजय यादव उप निदेशक मत्स्य अधिकारी, गुरुग्राम, श्री राजेश बैनीवाल तत्कालीन, मत्स्य अधिकारी, फतेहाबाद, श्री अमित सिंह तत्कालीन ब्लाक, मत्स्य अधिकारी सापला, कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी रोहतक, श्री बृज मोहन शर्मा तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी, सिरसा, श्री कुलदीप सिंह तत्कालीन व्यवसायिक मत्स्य लिपिक, कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी, भिवानी, श्री विजय कुमार शर्मा तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य, मुख्यालय, श्री राजेन्द्र कुमार तत्कालीन, उप निदेशक मत्स्य, हिसार (सेवानिवृत्त), श्री मेहन्द्र सिंह अहलावत तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य मुख्यालय, पंचकुला, श्री रवि बठला तत्कालीन, जिला राजस्व मत्स्य अधिकारी, अम्बाला, श्री बलबीर सिंह तत्कालीन, जिला मत्स्य अधिकारी भिवानी, श्री सुरेन्द्र ठुकराल तत्कालीन, जिला मत्स्य अधिकारी, कार्यालय मत्स्य फार्म प्रबंधक हिसार, श्री सिकंदर सिंह सांगवान, तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी, नारनौल, कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 67/06/2015-2 चौ-II दिनांक 01.10.2015 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो के पृष्ठांकन 14868/1-2/रा0चै0ब्यूरो (हरियाणा) दिनांक 08.10.2015 दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतु प्राप्त हुई थी जो श्री रमेश चन्द कौशिक, श्री प्रेम सिंह मलिक व श्री विपिन कुमार गोयल उप निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा की शिकायत के आधार पर दर्ज रजिस्टर हुई थी जिसमें आरोप था कि मत्स्य पालन विभाग हरियाणा के उपनिदेशक श्री एम0एस0 अहलावत मुख्यालय (उप केंद्र अम्बाला), श्री विजय शर्मा मुख्यालय (उप केंद्र करनाल), श्री रवि बठला उप केंद्र अम्बाला, श्री विक्रम सिंह राणा जिला मत्स्य अधिकारी यमुनानगर, श्री बलबीर सिंह उपनिदेशक मत्स्य हिसार, श्री संजय यादव उपनिदेशक मत्स्य गुरुग्राम व अन्य अधिकारियों द्वारा विभाग से बिना अनुमति व अवकाश प्राप्त किये, Vinayaka Mission University Salem Tamil Nadu and Institute of Advanced Studies in Education (I.A.S.E.) Deemed University Sardarsher Rajasthan, के करनाल व अम्बाला में संचालित पढ़ाई केन्द्रों के माध्यम से Distance Education Mode Programme के नाम पर अवैध तौर पर Practical and Personal Conduct Programmes दिखा कर Master of Sciences Zoology की डिग्रियां प्राप्त करके विभाग में पदोन्नति प्राप्त करना जब की इन पढ़ाई केन्द्रों को University Grant Commission New Delhi से मान्यता प्राप्त नहीं थी। जिसकी पडताल निरीक्षक सुरेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला द्वारा की गई थी जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया है कि श्री धमेन्द्र सिंह तत्कालीन, मत्स्य अधिकारी, पलवल ने वर्ष 2013-14 व 2014-2015, श्री जगदीश चन्द्र तत्कालीन, जिला मत्स्य अनुसंधान अधिकारी, जल/कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिसार ने वर्ष 2010-2011 व 2011-2012, श्री संजय यादव उप निदेशक मत्स्य अधिकारी, गुरुग्राम ने वर्ष 2011-12 व 2012-13 में, श्री राजेश बैनीवाल तत्कालीन, मत्स्य अधिकारी, फतेहाबाद ने वर्ष 2010-2011 व 2011-2012, श्री अमित सिंह तत्कालीन ब्लाक, मत्स्य अधिकारी सापला, कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी रोहतक ने वर्ष 2012-2013 व 2013-2014, श्री बृज मोहन शर्मा तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी, सिरसा ने वर्ष 2010-2011 व 2011-2012 श्री कुलदीप सिंह तत्कालीन व्यवसायिक मत्स्य लिपिक, कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी, भिवानी ने वर्ष 2009-2012 तक B.Sc तथा वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में M.Sc श्री विजय कुमार शर्मा तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य, मुख्यालय पंचकुला ने वर्ष 2011-2012 व 2012-2013 में M.Sc Zoology की पढ़ाई सरकार की हिदायतों अनुसार तीन साल की नियमित सेवा के बाद सरकार/विभाग से उच्च शिक्षा ग्रहण करने की पूर्व अनुमति प्राप्त करके तथा श्री राजेन्द्र कुमार तत्कालीन, उप निदेशक मत्स्य, हिसार (सेवानिवृत्त) ने वर्ष 2010-2011 व 2011-2012 में, श्री मेहन्द्र सिंह अहलावत तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य मुख्यालय, पंचकुला ने वर्ष 2009-2010 व 2010-2011 में, श्री रवि बठला तत्कालीन, जिला राजस्व मत्स्य अधिकारी, अम्बाला ने वर्ष 2010-2011 व 2011-2012 श्री बलबीर सिंह तत्कालीन, जिला मत्स्य अधिकारी भिवानी, श्री सुरेन्द्र ठुकराल तत्कालीन, जिला मत्स्य अधिकारी, कार्यालय मत्स्य फार्म प्रबंधक हिसार, ने वर्ष 2011-2012 व 2012-2013 में M.Sc Zoology की पढ़ाई सरकार की हिदायतों अनुसार तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद विभाग से Ex. Post Facto Approval प्राप्त करके Vinayaka Mission University Salem, Tamil Nadu से तथा श्री सिकंदर सिंह सांगवान, तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी, नारनौल ने वर्ष 2004-2005 व 2005-2006 में M.Sc Zoology की पढ़ाई के बाद विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त करके (IASE) Deemed University Sardar Shehar, Rajasthan के द्वारा हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित Studies Centre, Royal Institute to Technical Education Ambala, J.E.S. Academy Dabra Chowk Hisar, Surekha Institute of management Technology 370/976 आर्य समाज गली, रेलवे रोड़ काठमण्डी, बहादुरगढ़, श्री भल्लेराम संस्कृत महाविद्यालय, भिवानी, A.L.G./1061/HCS D.C. Colony Bhiwani सरस्वती विद्यामन्दिर, फरीदाबाद व राजेन्द्र पब्लिक स्कूल, महात्मा गांधी मार्ग, कनखड बाग, पटना आदि के माध्यम से Distance Education Mode Programme के तहत शिक्षा प्राप्त करके उक्त विश्व विद्यालयों से M.Sc Zoology की डिग्री प्राप्त की जानी पाई है। Vinayaka Mission Deemed University Salem, Tamil Nadu द्वारा अपने पत्र क्रमांक VMU/2222 दिनांक 12.4.2016 में यह कहना कि उपरोक्त अधिकारी व कर्मचारी परीक्षार्थी के रूप में इस विश्वविद्यालय से 2009-2014 तक सम्बन्धित रहे हैं, परन्तु इनको Distance Education Mode Programme के तहत M.Sc Zoology की शिक्षा देने के लिये सभी प्रकार के कार्य/प्रोग्राम सीधे University Campus से ही संचालित किये गये हैं। विश्व विद्यालय का यह तर्क गलत है, क्योंकि परीक्षार्थियों ने विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पढ़ाई केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करना ब्यान किया है। University Grant Commission New Delhi ने अपने पत्र दिनांक 01.03.2016 में बताया है कि Vinayaka University, Salem Tamil Nadu एक Deemed University है। इसके Distance Education Mode के

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

शैक्षणिक अवधि के Programme चलाने की मान्यता 2012 तक दी गई थी। इसी प्रकार इस द्वारा चलाये जा रहे Master of Science in Zoology व अन्य प्रोग्रामों की मान्यता 2011-2012 से 2013-2014 तक दी गई थी, परन्तु श्री धर्मेन्द्र सिंह तत्कालीन मत्स्य अधिकारी पलवल ने 2013-14 व 2014-15 तथा श्री कुलदीप सिंह तत्कालीन व्यवसायिक, मत्स्य लिपिक कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी भिवानी ने 2013-14 व 2014-15 के शैक्षणिक अवधि में इस विश्व विद्यालय के हरियाणा राज्य में संचालित पढ़ाई केन्द्रों व एक परीक्षार्थी, संजय यादव ने राजेन्द्र पब्लिक स्कूल, महात्मा गांधी मार्ग, कनखड बाग, पटना केन्द्र के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर M.Sc Zoology की डिग्री प्राप्त की है तथा श्री सिकंदर सिंह सांगवान, तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी, नारनौल ने वर्ष 2004-2005 व 2005-2006 में (IASE) Deemed University Sardar Shehar, Rajasthan Distance Education Programme के तहत हरियाणा राज्य में संचालित पढ़ाई केन्द्र में शिक्षा प्राप्त कर M.Sc Zoology की डिग्री प्राप्त की। University Grant Commission ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि I.A.S.E. राजस्थान भी एक Deemed University है, परन्तु University Grant Commission ने इसको किसी भी प्रकार के टैक्नीकल कोर्स चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, परन्तु इसके द्वारा चलाये जा रहे Distance Education Mode के प्रोग्रामों की अनुमति Distance Education Council द्वारा 2005 तक दी गई थी। तत्पश्चात् इसके प्रोग्रामों की मान्यता 2007-08 के लिए प्रदान की गई थी। University Grant Commission व Distance Education Council के नियम निर्देश अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए Migration Certificate अति आवश्यक था, जो इन विश्वविद्यालयों ने नहीं लिया और न ही परीक्षार्थियों ने उपलब्ध करवाया। University Grant Commission व Distance Education Council के नियमानुसार Distance Education Mode Programmes केवल University Campus में ही चलाये जा सकते हैं यदि University ने बाहर ऐसे Campus संचालित करने हैं तो ऐसे off Campus/off Shore Campus की अनुमति भारत सरकार से लेनी आवश्यक थी, जिसका नोटिफिकेशन होने उपरान्त University Campus से बाहर ऐसे Campus संचालित किये जा सकते हैं, जिनमें University Campus में दी जानी वाली सभी सुविधाएँ हों जो ऐसे Campus संचालित नहीं किये गये। परीक्षार्थी को Personal Conduct Programme Practical Classes, University Campus में प्रतिवर्ष कम से कम 20 दिन attend करना अनिवार्य है, परन्तु किसी भी परीक्षार्थी ने इतनी लम्बी अवधि का अवकाश विभाग से नहीं लिया जिससे साबित हो सके कि परीक्षार्थियों ने Personal Conduct Programme Practical Classes, University Campus में 20 दिन attend की हों। उपरोक्त परीक्षार्थियों ने इन विश्व विद्यालयों द्वारा हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित उपरोक्त पढ़ाई केन्द्रों में Personal Conduct Programme and Practical Classes attend करनी व विश्व विद्यालयों द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा दी जानी स्वीकार की है और सभी ने अपने कथनों में बताया है कि उन्होंने शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिन इन्हीं पढ़ाई केन्द्रों में Classes attend की थी। अधिकतर ने प्रति वर्ष केवल परीक्षा के दिनों में 4 से 7 दिन का अवकाश प्राप्त किया तथा कुछ ने परीक्षा हेतु अवकाश प्राप्त ही नहीं किया। जहाँ तक महेन्द्र सिंह अहलावत का यह ब्यान करना है कि उसने University Campus, Tamil Nadu में जाकर Vinayaka Mission Deemed University में परीक्षा दी है वह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हरियाणा से तमिलनाडु में जाकर परीक्षा देने के लिए बहुत दिन लगते हैं और इन्होंने इतनी लम्बी अवधि का कोई अवकाश विभाग से नहीं लिया है और न ही विश्वविद्यालय में दाखिला के समय Migration Certificate जमा करवाया। श्री राजेन्द्र कुमार, श्री महेन्द्र सिंह अहलावत, श्री रवि बठला, श्री बलबीर सिंह, श्री सुरेन्द्र ठुकराल ने अवैध पढ़ाई केन्द्रों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूर्व अनुमति सरकार से नहीं ली, जिन्होंने बाद में Ex. Post Facto Approval प्राप्त की है। विनायक विश्वविद्यालय का अब यह कहना कि इन परीक्षार्थियों ने Personal Conduct Programme and Practical Classes University Campus में attend की थी और जो सैन्टर विश्वविद्यालयों से बाहर बनाये गये थे, वो सिर्फ Information Centre थे, जो यह तथ्य गलत है। यूनिवर्सिटी ने इन अनियमितताओं को छुपाने के लिए अब अपना स्टैंड बदल दिया है। इन विश्व विद्यालयों ने अवैध पढ़ाई केन्द्रों के माध्यम से Distance Education Mode Programmes के तहत शिक्षा दी जानी दिखा कर M.Sc Zoology की अवैध डिग्रीयाँ जारी की हैं और परीक्षार्थियों ने बिना पढ़ाई किये, बिना Practical Classes Attend किये विश्वविद्यालयों के अवैध पढ़ाई केन्द्रों के माध्यम से अनुचित लाभ लेने के लिए M.Sc Zoology की अवैध डिग्रीयाँ प्राप्त की हैं। श्री धर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन मत्स्य अधिकारी, पलवल ने वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 की शैक्षणिक अवधि में शिक्षा प्राप्त करके M.Sc Zoology की डिग्री प्राप्त की, जबकि University Grant Commission की रिपोर्ट अनुसार Vinayaka Mission University, Salem Tamil Nadu के पास Distance Education Mode Programme के तहत शिक्षा दिये जाने की वर्ष 2014-2015 में किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं थी। इसी प्रकार श्री सिकंदर सिंह सांगवान, तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी, नारनौल ने वर्ष 2004-2005 व 2005-2006 की शैक्षणिक अवधि में शिक्षा प्राप्त करके M.Sc Zoology की डिग्री प्राप्त की। जबकि University Grant Commission की रिपोर्ट अनुसार I.A.S.E., Deemed University, Sardar Shehar Rajasthan के पास Distance Education Mode Programme के तहत शिक्षा दिये जाने की वर्ष 2005-2006 में किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं थी। जिला न्यायाधीश राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला की कानूनी राय ली गई। कानूनी राय के अनुसार जेर धारा 420, 511 भा0 द0 सं0 का अपराध होना बताया है। निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा, पंचकुला ने पत्र क्रमांक स्था0-1-2018/279 दिनांक 28.02.2018 व पत्र क्रमांक 284 दिनांक 05.03.2018 में बतलाया कि विनायका मिशन डिम्ड युनिवर्सिटी सेलम तमिलनाडु व I.A.S.E. डिम्ड युनिवर्सिटी सरदार शहर राजस्थान से प्राप्त की गई M.Sc Zoology की डिग्री के आधार पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति व वेतन का लाभ नहीं दिया गया। श्री राजेन्द्र कुमार उप निदेशक मत्स्य हिसार सेवानिवृत्त ने संयुक्त निदेशक मत्स्य के पद पर पदोन्नती के लिए विभाग में आवेदन किया था तथा श्री महेन्द्र सिंह अहलावत तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य मुख्यालय, पंचकुला अब सहायक प्रोफेसर जल कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार द्वारा संयुक्त निदेशक मत्स्य एवं निदेशक मत्स्य के पद पर पदोन्नती हेतु लगातार सरकार को आवेदन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि श्री महेन्द्र सिंह अहलावत, उप-निदेशक मत्स्य मुख्यालय पंचकुला, हाल सहायक प्रोफेसर, जल कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार, श्री रवि बठला जिला मत्स्य अधिकारी, अम्बाला, श्री अमित सिंह, मत्स्य अधिकारी सांपला, कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी रोहतक, श्री कुलदीप सिंह व्यवसायिक मत्स्यक, कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी जीन्द विनायका मिशन डिम्ड युनिवर्सिटी सेलम तमिलनाडु M.Sc Zoology व B.Sc Zoology व श्री सिकंदर सिंह सांगवान, जिला मत्स्य अधिकारी, हिसार ने I.A.S.E. डिम्ड युनिवर्सिटी सरदार शहर राजस्थान से M.Sc Zoology की डिग्री प्राप्त करके अपने सेवा रिकार्ड में करवाया हुआ है। इस प्रकार जांच से पाया गया है कि I.A.S.E. Deemed University Sardar Shaher, Rajasthan and Vinayaka Mission University, Salem Tamil Nadu ने अवैध पढ़ाई केन्द्रों के माध्यम से Distance Education Mode Programmes के तहत विभिन्न राज्यों में पढ़ाई केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा दी जानी दिखाकर M.Sc Zoology की अवैध डिग्रीयाँ जारी की हैं। उपरोक्त अधिकारियों ने बिना पढ़ाई किये, बिना Practical Classes attend किये इन विश्वविद्यालयों के अवैध पढ़ाई केन्द्रों के माध्यम से विभाग से अनुचित लाभ/पदोन्नती लेने के लिए M.Sc Zoology की अवैध डिग्रीयाँ प्राप्त की हैं। यह बात अलग है कि विभाग ने इन्हें यह लाभ नहीं दिये। अतः उपरोक्त विश्वविद्यालयों व उपरोक्त परीक्षार्थी, अधिकारियों व कर्मचारियों मत्स्य पालन विभाग हरियाणा के विरुद्ध जेरधारा 420, 511, भा0 द0 सं0 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया इसलिये उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारियों व शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

तहत अभियोग दर्ज करने का सुझाव महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 2897/रा0चौ0ब्यूरो0 (ह0) दिनांक 08.03.2018 अनुसार अन्तिम रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी जिसका परीक्षण करने उपरान्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 67/6/2015-2 चौ-II दिनांक 17.12.2019 के अनुसार I.A.S.E. Deemed University Sardar Shaher, Rajasthan and Vinayaka Mission University, Salem Tamil Nadu श्री धमेन्द्र सिंह तत्कालीन, मत्स्य अधिकारी, पलवल, श्री जगदीश चन्द्र तत्कालीन, जिला मत्स्य अनुसंधान अधिकारी, जल/कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिसार श्री संजय यादव उप निदेशक मत्स्य अधिकारी, गुरुग्राम श्री राजेश बैनीवाल तत्कालीन, मत्स्य अधिकारी, फतेहाबाद, श्री अमित सिंह तत्कालीन ब्लाक, मत्स्य अधिकारी सापला, कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी रोहतक श्री बृज मोहन शर्मा तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी, सिरसा, श्री कुलदीप सिंह तत्कालीन व्यवसायिक मत्स्य लिपिक, कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी, भिवानी, श्री विजय कुमार शर्मा तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य, मुख्यालय, श्री राजेन्द्र कुमार तत्कालीन, उप निदेशक मत्स्य, हिसार (सेवानिवृत्त), श्री महेन्द्र सिंह अहलावत तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य मुख्यालय, पंचकुला श्री रवि बठला तत्कालीन, जिला राजस्व मत्स्य अधिकारी, अम्बाला, श्री बलबीर सिंह तत्कालीन, जिला मत्स्य अधिकारी भिवानी, श्री सुरेन्द्र ठुकराल तत्कालीन, जिला मत्स्य अधिकारी, कार्यालय मत्स्य फार्म प्रबंधक हिसार व श्री सिकंदर सिंह सांगवान, तत्कालीन जिला मत्स्य अधिकारी, नारनौल के विरुद्ध जेर धारा 420,511 भा0द0स0 तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के विरुद्ध धारा 197/198/120-बी भा0द0स0 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः उपरोक्त व्यक्तियों एवं विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के विरुद्ध जेर धारा 197/198/420/511/120-बी भा0द0स0 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने के लिये महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पृष्ठांकन 5839/आई-1/रा.चौ.ब्यूरो. (ह0) दिनांक 23.06.2020 व पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला मण्डल पंचकुला के आदेश दिनांक 23.06.2020 अनुसार तहरीर तैयार की गई है जो मुकदमा दर्ज करके तहरीर कायमी मुकदमा आईन्दा तफतीश श्री सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के आदेश हुये हैं। अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्वच्छ प्रतियां ईलाका मजीस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जायें व मिशल मुकदमा मय रिकार्ड हवाले अनुसंधान अधिकारी की जाये। अज - PS SVB PKL. Sd Suresh Kumar 23/06/2020 निरीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला। अज थाना - उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 02 दिनांक 23.06.2020 धारा 197/198/420/511/120-बी भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया गया। प्र0सू0रि0 की प्रतियां ईलाका मैजीस्ट्रेट साहब पंचकुला व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है। अभियोग की पुलिस फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान के लिए श्री सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के हवाले की गई। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Suresh Kumar Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
No. (सं.): hps to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इन्कार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manbir Singh

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				Is Proxitted: Yes
2	Male	1974				Is Proxitted: Yes
3	Male	1973				Is Proxitted: Yes
4	Male	1971				Is Proxitted: Yes
5	Male	1971				Is Proxitted: Yes
6	Male	1970				Is Proxitted: Yes
7	Male	1975				Is Proxitted: Yes
8	Male	1974				Is Proxitted: Yes
9	Male	1973				Is Proxitted: Yes
10	Male	1976				Is Proxitted: Yes
11	Male	1960				Is Proxitted: Yes
12	Male	1972				Is Proxitted: Yes
13	Male	1972				Is Proxitted: Yes
14	Male	1972				Is Proxitted: Yes
15	Male	1972				Is Proxitted: Yes
16	Male	1974				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

[illegible]

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)